दिनाक 29.09.2020
प्रेस विज्ञप्ति 32/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

वर्ष–2020 पुलिस विभाग के लिए कोविड–19 संक्रमण आदि के दृष्टिगत एक बहुत ही चुनौती पूर्ण समय रहा है। इस चुनौतीपूर्ण महौल में पुलिस कर्मियों द्वारा उच्चस्तर के कर्तव्य बोध का प्रदर्शन करते हुए लॉक डाउन का अनुपालन व उक्त अवधि में जरूरतमंद व्यक्तियों तथा प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रमिकों की सहायता की गयी, साथ ही इस वर्ष में पड़ने वाले समस्त त्योहारों आदि को अत्यन्त ही शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल सम्पन्न कराया गया। पुलिस के इन उत्कृष्ट कार्यो एवं व्यवहार की आम जनता के साथ साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा भी प्रशंसा की गयी। मा0मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पुलिस बल के कार्यो की भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी ,जिससे पुलिस बल का मनोबल और बढ़ा है तथा कर्तव्य बोध से प्रेरित होकर और अधिक उत्साह के साथ कर्तव्यरत है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल का मनोबल बढ़ाये रखने हेतु उन पुलिस कर्मियों को जिनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किये गये है उनको पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के प्रशंसा चिन्ह, व सराहनीय सेवा चिन्ह , उत्कृष्ट सेवा चिन्ह आदि से सम्मानित किया गया है। पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 द्वारा 15 अगस्त 2020 को 402 पुलिस कर्मियों को **प्रशंसा चिन्ह**, 200 पुलिस कर्मियों को **सराहनीय सेवा चिन्ह**, 43 पुलिस कर्मियों को **उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह** आदि प्रदान किया गया। इससे उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों का न केवल उत्साहबर्धन हुआ बल्कि उनमें आपस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी शुरू हुयी है।

साथ ही दूसरी तरफ पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा समस्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर मुख्यालय स्तर से वीडियों कान्फ्रेन्सिंग /परिपत्र/निर्देश के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का विधि सम्मत त्वरित निस्तारण करते हुए उनके साथ उचित व्यवहार करने ,पंजीकृत अभियोगों की विवेचनाओं का समयबद्ध गुणवत्ता परक निस्तारण तथा **''भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टालरेन्स की नीति''** पर कार्य करने के दिशा निर्देश निर्गत किये गये है ।

जिसके क्रम में दिनॉक 01.01.2020 से 31.08.2020 तक भ्रष्टाचार की शिकायतों , एवं पुलिस दुर्व्यवहार व विवेचना में जानबूझकर लापरवाही बरतने पर **कुल–42 अभियोग** दोषियों पर पंजीकृत हुए है। उक्त अवधि में इन्ही मामलों में निम्न प्रकार से अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है।

विवेचना में लापरवाही बरतने पर, पुलिस दुर्व्यवहार एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों में उक्त अवधि में कुल 636 पुलिस कर्मियों के विरूद्व कार्यवाही की गयी, जिसमें 01 पदच्युत, 527 परिनिन्दा प्रविष्टि, 09 सत्यनिष्ठा रोकी गयी, 72 अर्थदण्ड एवं 27 पुलिस कर्मियों का ओ0आर0 किया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस के उक्त बहुत अल्पसंख्या में मौजूद पुलिस कर्मियों ,जिनके द्वारा किये गये गलत /अवैधानिक कार्यो के कारण उ0प्र0 पुलिस की छबि पर भी आघात पहुॅचा है, ऐसे पुलिस कर्मियों के कार्यो एवं आचारण में सुधार लाने एवं बेहतर प्रदर्शन प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करने के लिए उपरोक्तानुसार विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें दण्डित किया गया है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि समस्त पुलिस कर्मी द्वारा अपनी **व्यवसायिक दक्षता एवं उत्कृष्ट सेवा भाव, व्यवहार का प्रदर्शन** भविष्य में भी करते रहें ।

जनपद जनपद हापुड़/थाना सिम्भावली

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 02 अपराधी गिरफ्तार**
- **40 बने/अधबने अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 41 जीवित कारतूस, 04 खोखा कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 28.09..2020 को थाना सिम्भावली पुलिस टीम द्वारा ग्राम सिखेडा वाले पुल के पास अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 शातिर अपराधी 1—आसिफ 2—अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 40 बने/अधबने अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 41 जीवित कारतूस, 04 खोखा कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना सिम्भावली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आसिफ नि0 वार्ड नं08 सिवाल खास थाना जानी मेरठ।

2—अब्दुल रहमान नि0 वार्ड नं061 गोकुल वाली गली सराय खेमनगर थाना देहली गेट।

बरामदगी—

1—40 बने/अधबने अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 41 जीवित कारतूस, 04 खोखा कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, पुर्जे आदि।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर /थाना नॉलेज पार्क

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट के 02 मोबाइल फोन , चोरी के 01 मोटरसाइकिल , 01 अवैध तमंचा मय कारतूस**

दिनांक 28.09.2020 की रात्रि थाना नालेज पार्क पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एलजी चौक और गोल चक्कर के मध्य बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सलमान उर्फ नोनू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 02 मोबाइल फोन , चोरी के 01 मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व गौतमबुद्वनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10

अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नालेज पार्क पर पंजीकृत मु0अ0सं0 301/2020 धारा 307/411/414 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु गौतमबुद्वनगर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना नालेज पार्क पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सलमान उर्फ नोनू नि0 आसिफ कबाड़ी की दुकान नट मढ़ैया थाना बीटा—2 गौतमबुद्वनगर।

<u>बरामदगी</u>

2—लूट के 02 मोबाइल फोन , चोरी के 01 मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमंचा मय कारतूस।

<u>जनपद चित्रकूट/थाना बहिलपुरवा</u>

- **जनपद चित्रकूट से 25,000 व जनपद सतना म0प्र0 से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस बरामद**

दिनांक 28.09.2020 की रात्रि थाना बहिलपुरवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बहिलपुरवा क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अपराधी राम प्रसाद उर्फ कल्लू उर्फ चिड़ी का गोटर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सुन्दर पटेल उर्फ रागिया गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसके विरूद्व जनपद चित्रकूट व म0प्र0 के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण व आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त जनपद चित्रकूट, सतना म0प्र0 से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु चित्रकूट से 25,000 व जनपद सतना म0प्र0 से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बहिलपुरवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1— राम प्रसाद उर्फ कल्लू उर्फ चिड़ी नि0 मैनहाई थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस।

जनपद गोरखपुर/थाना गगहा

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 29.09.2020 को थाना गगहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पकड़ दूबे की दुकान के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी अखिलेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गगहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 352/2018 धारा 147/323/504/352/427/395 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना गगहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अखिलेश निवासी पकड़ी दूबे थाना गगहा गोरखपुर।

जनपद गोरखपुर/थाना कैण्ट

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 29.09.2020 को थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कैण्ट क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अपराधी सुभम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी।

उल्खनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना केण्ट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1228/2020 धारा 147/148/149/307/323/504/506/427/120 बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुभम निवासी ग्राम जयनगर थाना बरहज देवरिया।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस

2—01 मोटरसाइकिल।

जनपद अलीगढ़/थाना अतरौली

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 29.09.2020 को थाना अतरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छर्रा रोड स्टेडियम बम्बा पुलिया के पास पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अपराधी आबिद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार थाना शाहगंज जनपद आगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 779/15 धारा 302/201 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना अतरौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आबिद निवासी पक्की गढ़ी कस्बा व थाना अतरौली अलीगढ़।

जनपद आजमगढ़/थाना पवई

- **02 शातिर चोर गिरफ्तार,**
- **लगभग 04 लाख रूपये मूल्य के चोरी के जेवरात बरामद**

दिनांक 28.09.2020 की रात्रि थाना पवई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कछरा स्थित गन्ना तौल के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो, बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा पुलिस कार्यवाही के दौरान 02 शातिर चोर 1—चन्द्रशेखर, 2—अशफाक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 04 लाख मूल्य के सोने के जेवरात , 02 अवैध तमंचा मय जीवित खोखा कारतूस ,01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस संबंध में थाना पवई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्द्रशेखर नि0 बहाउद्दीनपुर थाना पवई आजमगढ़।

2—अशफाक नि0 किछौछा थाना बसखारी अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1— 04 लाख मूल्य के चोरी के जेवरात।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, मय जीवित खोखा कारतूस ,01 मोटर साइकिल ।

जनपद अमेठी/थाना अमेठी

- **चोरी की घटना का अनावरण, 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 लाख 75 हजार रू0 कीमत के चोरी के 01 जनरेटर, 01 वेल्डिंग मशीन, 01 लोहे का कटर, गैस सिलेण्डर आदि बरामद**

दिनांक 29.09.2020 को थाना अमेठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेपियन स्कूल गौरीगंज के पास से 04 अभियुक्तों 1—धर्मेन्द्र 2—राजेश 3—रामहेत 4—राजकुमार को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 04 लाख 75 हजार रू0 कीमत के चोरी के 01 जनरेटर, 01 वेल्डिंग मशीन, 01 लोहे का कटर, गैस सिलेण्डर आदि बरामद हुये। बरामद माल मु0अ0सं0 424/2020 धारा 379 भादवि से संबंधित है।

इस संबंध में थाना अमेठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—धर्मेन्द्र नि0 बनसोन पट्टी थाना संग्रामपुर अमेठी।

2—राजेश नि0 किशुनचेतपुर थाना संग्रामपुर अमेठी।

3—रामहेत नि0 पूरे का पुरवा रायपुर फुलवारी अमेठी।

4—राजकुमार नि0 इटौरी थाना संग्रामपुर अमेठी।

बरामदगी

1—04 लाख 75 हजार रू0 कीमत के चोरी के 01 जनरेटर, 01 वेल्डिंग मशीन, 01 लोहे का कटर, गैस सिलेण्डर आदि।

जनपद जौनपुर/थाना जलालपुर

- **शराब तस्कर गिरफ्तार**
- **890 पेटी अवैध शराब, 04 ट्रक, 02 मोटरसाइकिल आदि बरामद**

दिनांक 29.09.2020 को थाना जलालपुर व थाना नेवढ़िया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ब्रम्हबाबा मंदिर नेवादा नेवढ़िया कुसिया मार्ग से शराब तस्कर मो0 अजीज को गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य अभियुक्त फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 890 पेटी अवैध शराब, 04 ट्रक, 02 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुयी।

इस संबंध में थाना जलालपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 अजीज नि0 उतावली थाना गणपति जनपद बुरहानपुर म0प्र0।

बरामदगी

1—890 पेटी अवैध शराब, 04 ट्रक, 02 मोटरसाइकिल आदि।

<u>जनपद चन्दौली/थाना चन्दौली (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की 03 करोड़ 84 लाख 99 हजार 355 रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी राजू सिंह द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 03 करोड़ 84 लाख 99 हजार 355 रूपये की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>जनपद अम्बेडकरनगर/ (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की 02 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी रेहान द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ रूपये की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>जनपद पीलीभीत/थाना दियोरिया कला (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की 14 लाख 16 हजार 800 रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले शातिर अपराधी सम्पूर्ण सिंह उर्फ नाटी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 14 लाख 16 हजार 800 रूपये की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एसटीएफः जनपद जौनपुर के सर्राफा व्यापारी की हत्या कर लूट करने की घटना में रू0 20,000/— का पुरस्कार घोषित एवं थाना वालिव, पालघर (महाराष्ट्र) से वांछित अपराधी विपिन सिंह गिरफ्तार।

आज दिनांक 29—09—2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद जौनपुर में सर्राफा व्यापारी की हत्या कर लूट करने वाले रूपये 20 हजार के पुरस्कार घोषित तथा थाना वालिव, जनपद पालघर (महाराष्ट्र) से वांछित अभियुक्त विपिन सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

विपिन सिंह पुत्र स्व0 राजाराम सिंह नि0 काकोरी, थाना जलालपुर, जौनपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः—

बेनीपुर तिराहा के पास, थाना नेवढ़िया, जौनपुर दिनांक 29—09—2020 समयः— 14.00 बजे।

विगत कुछ दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

दिनांक 05—09—2020 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी द्वारा जौनपुर में सर्राफा व्यापारी षिवजीत की हत्या कर आभूषण लूट की घटना में वांछित 25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त नीरज कुमार सिंह उर्फ लव सिंह उर्फ पहलवान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा षेष वांछित रूपये 20,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त विपिन सिंह उपरोक्त फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ फील्ड इकाई, वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान आज दिनांक 29—09—2020 को विष्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 05—06—2020 को जनपद जौनपुर के थाना नेवढ़िया क्षेत्रान्तर्गत परमलपट्टी के पास सर्राफा व्यापारी षिवजीत की हत्या कर लूट करने वाले रू0 20 हजार के पुरस्कार घोषित अपराधी नीरज सिंह थाना नेवढ़िया क्षेत्रान्तर्गत बेनीपुर तिराहा के पास अपने किसी साथी से मिलने आयेगा। इस सूचना पर निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु रवाना की गयी। एसटीएफ टीम ने मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर वांछित अभियुक्त विपिन सिंह को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसका जौनपुर में एक अपराधिक गैंग है। दिनांक 05—06—2020 को सांयकाल एक पोखरे पर वह अपने गैंग के लव सिंह उर्फ नीरज उर्फ पहलवान, दीपक, अभिषेक पाण्डेय उर्फ मोगली एवं षिवानन्द उर्फ बाबा को बुलाया था। वहां पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर परमलपट्टी के सर्राफा व्यापारी षिवजीत को लूटने की योजना बनायी। योजना के मुताबिक लव सिंह उर्फ नीरज की मोटरसाइकिल पर दीपक और षिवानन्द उर्फ बाबा की मोटरसाइकिल पर अभिषेक पाण्डेय उर्फ मोगली बैठा था और वह लोग परमलपट्टी के आगे दो मंजिला मकान के पास जाकर रूक गये थे, कि थोड़ी देर बाद परमलपट्टी की ओर से सर्राफा व्यापारी षिवजीत अपनी मोटरसाइकिल से नेवादा की ओर जा रहा था, थोड़ी दूर आगे तिराहे के पास सर्राफा व्यापारी को इन लोगो द्वारा रोक लिया गया और बैग छीनने का प्रयास किया गया, सर्राफा व्यापारी के विरोध करने पर उसे इन लोगो ने गोली मार दिया गया और बैग छीनकर मौके से सभी फरार हो गये। उक्त घटना करने के बाद यह लोग फरार हो गये थे। इस घटना में षामिल सभी लोग

पूर्व में पकड़े जा चुके है तथा यह फरार चल रहा था। साथ ही यह भी बताया कि वह पहले मुम्बई में रहता था और बिल्डर का काम करता था। वर्ष 2014 में करोड़ो रूपये लेकर जौनपुर भाग आया था। इसके विरूद्ध थाना वालिव, जनपद पालघर (महाराष्ट्र) में मु0अ0सं0 271/14 धारा 420/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। यहॉ आकर इसने मण्डुवाडीह क्षेत्र में बिल्डर का काम षुरू किया, यहॉ पर भी रूपये के लेन देन और गबन आदि के सम्बन्ध में इसके विरूद्ध मु0अ0सं0 493/19 धारा 406/420/506/120बी भादवि थाना मण्डुवाडीह वाराणसी में पंजीकृत हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त विपिन सिंह का ज्ञात हुआ आपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः–

क्र0स0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	271/14	420/34 भादवि	वालिव	पालघर, महाराष्ट्र
02	675/14	504/506 भादवि	जलालपुर	जौनपुर
03	493/19	406/420/506/120बी भादवि	मण्डुवाडीह	वाराणसी
04	663/19	323/504/506 भादवि	लंका	वाराणसी
05	96/20	392/302/120बी भादवि व 3(1) गैंगेस्टर एक्ट	नेवढ़िया	जौनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना नेवढ़िया, जौनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 96/20 धारा 392/302/120बी भादवि में दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।